कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा) मयूर विहार, देहरादून

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक (प्राथमिक) की भर्ती हेतु विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या–341670/XXIV-A-1/2025–12983/2022 दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं संशोधित सेवा नियमावली, 2025 में निहित प्राविधानों के अधीन जनपद देहरादून के **प्रथमतः विकासखण्ड चकराता एवं यथा आवश्यकतानुसार विकासखण्ड कालसी के दुर्गम श्रेणी** के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (प्राथमिक), ग्रेड–III (वेतनमान 35400–112400 लेवल–6) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

(क) बैकलॉग के रिक्त पदों का विवरण :–

पदनाम	पदों की संख्या					
	कुल रिक्त पद	SC	PH			
			1	2	3	4
सहायक अध्यापक (प्राथमिक) बैकलॉग के पद	97	47	14	18	0	18

नोट :– 1. आर०टी०ई० मानकानुसार शिक्षकों की आवश्यकता के सापेक्ष रिक्त पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

दिव्यांगजन के श्रेणी का विवरण निम्नवत् है :–

1. Blindness and low vision (VI) 2. Deaf and hard of hearing (HI) 3. Cerebral palsy, motor disability (LD) 4. Intellectual disability, mental disability, multiple disability

2. उत्तराखण्ड राज्य में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में अनुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगें।
3. सहायक अध्यापक प्राथमिक के विज्ञापित पदों में 50 प्रतिशत विज्ञान एवं 50 प्रतिशत विज्ञानेत्तर के होंगे।
4. उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2025 के नियम 15 (6) के अनुसार "ऐसे शिक्षक जो पूर्व में विभाग अन्तर्गत समान पद पर कार्यरत हैं, (अर्थात राज्यान्तर्गत किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत हैं) वे समान पद पर (अर्थात राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर) पुनः अभ्यर्थन (Apply) हेतु अर्ह नहीं होंगे।"

(ख) सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण तथा अन्य अर्हताऐं : –

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हों।

(2) आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी का पूर्ण अहर्ताधारी होना आवश्यक है। उक्त तिथि के उपरान्त कोई भी निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(3) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एल०एड०) (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में बी०टी०सी० के नाम से जाना जाता था)/चार वर्षीय बी०एल०एड० प्रशिक्षण/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०)।

(4) राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे ऐसे शिक्षा मित्र/औपबन्धिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत शिक्षा मित्र, जो नियुक्ति हेतु पात्र हो, को सेवा नियमावली के प्राविधानानुसार शिक्षा अनुभव के अंक प्रदान किये जायेंगे। जिस हेतु सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होने राज्य सरकार द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–। उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी०एल०एड०

प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो, तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु का हो।

(5) मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिव्यू पिटीशन संख्या : 4961/2024 में पारित निर्णयादेश दिनांक 10–12–2024 के क्रम में बेहतर भविष्य के प्रयोजन (to make better their prospects and promotional avenues) हेतु एम०एच०आर०डी० के पत्र दिनांक 03–08–2017 के क्रम में सितम्बर 2017 से 31 मार्च, 2019 के मध्य एन०आई०ओ०एस० द्वारा दूरस्थ शिक्षा (ODL) के माध्यम से कराये गये सेवारत शिक्षक के रूप में डी०एल०एड० प्रशिक्षण।

(6) शासनादेश संख्या–163 दिनांक 04 मार्च, 2016 एवं शासनादेश संख्या–146837 दिनांक 16 अगस्त, 2023 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा 1–5 के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा–प्रथम (UTET-I/CTET-I) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(7) उक्तानुसार निर्धारित पदों पर विषय संयोजन व चयन प्रक्रिया ''उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित–2025)'' में निहित प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

(ग) आवेदन की पात्रता :–

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ''ग'' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है :–

(i) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो।

(ii) अभ्यर्थी का नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो।

(iii) उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–164 दिनांक 28.06.2019 द्वारा प्रख्यापित ''उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ''ग'' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली, 2019'' के प्राविधानानुसार आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, ''जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट एवं इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवायें उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नही हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे, परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड से बाहर निवासरत हैं, के स्वंय अथवा उनके पति /पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह ''ग'' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होगे।''

(घ) **अभ्यर्थी की आयु**–01 जुलाई, 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।

(ङ) आरक्षित वर्गो के अभ्यर्थियों तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा।

(च) शासनादेश संख्या–48/XVII-A-3/2023–01(11)/वि०क०/2017 दिनांक 05–06–2023 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में दिव्यांगजनों के पदों का पुनर्चिन्हांकन के प्राविधान लागू होंगे।

(छ) जो अभ्यर्थी, विज्ञापन की शर्तो के अनुसार पात्र नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उनका नियुक्ति हेतु कोई दावा मान्य नहीं किया जायेगा।

(ज) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएगें। निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(झ) सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो : परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

(ञ) **आवेदन**– अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र के साथ अपने वांछित समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सुस्पष्ट पठनीय स्व प्रमाणित छाया प्रतियों के साथ (आवेदन पत्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के विवरण में लिखित एवं प्रयोगात्मक विषय के प्राप्तांक तथा पूर्णांक पृथक–पृथक स्पष्ट रूप में अंकित करें) स्वयं का पता लिखा लिफाफा रु0 57/– के डाक टिकट सहित संलग्न कर प्रेषित करेंगे। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की अंकनाओं व संलग्न शैक्षिक/प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की जॉच सम्बन्धित के मूल अभिलेखों से की जायेगी, जिसकी तिथि के सम्बन्ध में पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया जायेगा।

(ट) **अन्तिम तिथि** – पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा **दिनांक 29–11–2025. सायं 05 बजे तक** जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के कार्यालय में स्वीकार किये जायेंगे। नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा। साधारण डाक/कोरियर/दस्ती से प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नही होंगे। आवेदन पत्र के ऊपर लिफाफे पर मोटे अक्षरों में "सहायक अध्यापक प्राथमिक सम्बन्धित जनपद का नाम हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या सहित" अवश्य अंकित करें। डाकघर द्वारा किये गये विलम्ब हेतु अद्योहस्ताक्षरी का कार्यालय उत्तरदायी नही होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.),
देहरादून

कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून।

पृ०सं०/प्रा०शि०–विज्ञप्ति/7127-30 /स०अ०(प्राथमिक)/2025–26 दिनांक : नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
2. एम.आई.एस. प्रभारी, कार्यालय, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विस्तृत विज्ञप्ति को आवेदन पत्र सहित अविलम्ब विभागीय वेबसाइट में अपलोड/प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।
3. जिला एन.आई.सी. अधिकारी, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विस्तृत विज्ञप्ति को आवेदन पत्र सहित अविलम्ब एन0आई0सी0 की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड/प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
5. कार्यालय पत्रावली।

05/XI/25

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.),
देहरादून

सहायक अध्यापक प्राथमिक के जनपद स्तर पर चयन हेतु
आवेदन पत्र (2025)

(आवेदन पत्र अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा स्वयं स्वच्छ भरा जाय। कटिंग एवं ओवर्राइटिंग मान्य नहीं होगी। नाम एवं पिता का नाम तथा जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार लिखी जाय। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट आवदेन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।)

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का पासपोर्ट साइज का स्वहस्ताक्षरित फोटो चिपकाया जाय। हस्ताक्षर इस प्रकार से किये जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग फोटो पर एवं आधा आवेदन पत्र पर रहे

1. अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम (हिन्दी में)..
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)..

2. पिता का नाम (हिन्दी में)..
   पति का नाम (विवाहित महिला हेतु)..

3. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार) ☐☐ (DD) ☐☐ (MM) ☐☐☐☐ (YYYY)

   (शब्दों में) ....

4. (अ) गृह जनपद का नाम व पता (थाना सहित) ....
   (ब) पत्र व्यवहार का पता (थाना सहित) ....

5. टेलीफोन नम्बर यदि हो (एस०टी०डी० कोड सहित) ....
   मोबाइल नम्बर यदि हो ....

6. लिंग कोड (महिला–1 पुरूष–2) .... ☐

7. आरक्षण कोड (सामान्य–1, अनुसूचित जाति–2, अनुसूचित जनजाति–3, अन्य पिछडा वर्ग–4, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–5) ☐

8. क्षैतिज आरक्षण कोड (दिव्यांग–6, स्व०संग्राम सेनानी आश्रित–7, भूतपूर्व सैनिक (स्वयं)–8, महिला–9, अनाथ–10) ☐

9. अभ्यर्थी की अध्यापक पात्रता परीक्षा एवं शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता का विवरण :

परीक्षा	बोर्ड एवं विश्वविद्यालय /संस्थान का नाम	परीक्षा का वर्ष	अनुक्रमांक	पूर्णांक	प्राप्तांक
हाईस्कूल					
इण्टरमीडिएट					
स्नातक					
प्रशिक्षण					
अध्यापक पात्रता परीक्षा (1 से 5 तक)					

SAMPLE

10. संलग्नकों का विवरण :—1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

घोषणा

मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है तथा आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व समस्त अंकित विवरण का मेरे द्वारा परीक्षण कर लिया गया है एवं आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से संदर्भित समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण व आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण पत्र मेरे द्वारा स्वप्रमाणित कर, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिये है। चयन के पूर्व अथवा बाद में जांचोपरान्त कोई भी विवरण अथवा प्रमाण पत्र असत्य अथवा गलत पाये जाने पर सम्बन्धित प्राधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व से मेरे पास उपलब्ध है।

दिनांक :

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का पठनीय हस्ताक्षर

नाम :

पता :

SAMPLE